

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मेवालाल पिता मांगीलाल माली निवासी अमरवासी वगैरह

बनाम

रामलाल नायक पिता लून्दा नायक निवासी अमरवासी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 280/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1121/1, 1691, 1692, 1693, 1694, 1702, 1703, 431, 432 कुल किता 09 रकबा 4.74294 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1121/1, 1691, 1692, 1693, 1694, 1702, 1703, 431, 432 कुल किता 09 रकबा 4.74294 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 4000 रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 13/05/2024

कमांक/रीडर/2024 280/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 280/2024 अनवान मेवालाल पिता मांगीलाल माली निवासी अमरवासी, लाली पत्नि मांगीलाल निवासी अमरवासी बनाम रामलाल नायक पिता लून्दा नायक निवासी अमरवासी, धनराज पिता जगदीश मीणा निवासी अमरवासी, रामकिशन मीणा पिता सूरजमल मीणा निवासी अमरवासी, हरकचंद जैन पिता राजमल जैन निवासी अमरवासी, सुरेन्द्र मीणा पिता रामलाल मीणा निवासी अमरवासी, छोटी देवी पत्नि छोदू लाल बैरवा निवासी अमरवासी, राजेन्द्र पिता मोहन लाल सुवालका निवासी अमरवासी, लादू पिता मांगीलाल सुवालका निवासी अमरवासी, महावीर पिता भूरा सुवालाल निवासी अमरवासी, रामेश्वर पिता मोहन लाल शर्मा निवासी अमरवासी, सोजी पिता रामचन्द्र गुर्जर निवासी अमरवासी, रामसिंह पिता भैरूसिंह राजपुत निवासी अमरवासी, बृजगोपाल पिता देबीलाल पारीक निवासी अमरवासी, सुनिल पिता ओमप्रकाश सेन निवासी अमरवासी तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम अमरवासी प.ह. अमरवासी आराजी सं. 1121/1, 1691, 1692, 1693, 1694, 1702, 1703, 431, 432 कुल किता 09 रकबा 4.74294 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा